

**महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता :  
एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण**

**श्रीमती स्वाति सक्सेना**

शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग

Email: [saxenatax@gmail.com](mailto:saxenatax@gmail.com)

**सारांश**

नर से भारी नारी, एक नहीं दो-दो मात्राएँ । इन शब्दों के माध्यम से कविवर दिनकर जी ने समाज में महिलाओं के महत्व को अत्यन्त खूबसूरती से व्यक्त किया है। सृष्टि के सृजन व संचालन में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण ही उसका महत्व पुरुष से अधिक है। सृजन एवं संचालन की इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में महिलाओं का अंशदान पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ है। समाज में महिलाओं की स्थिति में वैदिक काल से लेकर अब तक अनेक उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वर्तमान में महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त हैं जिनसे पूर्व में वह वंचित थी। आज महिलाएं उच्च शिक्षित होकर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका का संचालन बड़ी ही कुशलता से कर रही हैं। महिलाएं प्रगति के नित नये आयाम रच रही हैं परन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि इसी समाज में महिलाएं प्रताड़ित भी होती हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज सैद्धान्तिक रूप से तो महिलाओं के लिए कई योजनाएं एवं कानून हैं परन्तु व्यावहारिक रूप में उनका प्रयोग केवल केवल नाममात्र के लिए ही होता है। महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग वर्तमान में भी पीड़ित, वंचित एवं अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है। अतः इस क्षेत्र में जागरूक होकर सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

**प्रस्तावना**

जिस समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी अधिक सुदृढ़, क्रियाशील व प्रगतिशील होगी वह समाज और देश उतना ही अधिक समृद्धशाली व उन्नत होगा। किसी भी परिवार, समाज या देश को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनने के लिए महिला एवं पुरुष को समान अधिकार प्रदान करने चाहिए। भारतीय समाज में महिला एवं पुरुष की तुलना रथ से की गयी है। जिस प्रकार रथ के दोनों पहिये समान न होने पर रथ असंतुलित होकर गिर जायेगा ठीक उसी प्रकार जब तक महिला एवं पुरुष को समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक वह समाज उन्नति के पद पर अग्रसर नहीं हो पायेगा। पं० जवाहर लाल नेहरू का भी कहना है कि यदि हमें वास्तव में जनता को जागरूक करना है तो सर्वप्रथम समाज की महिलाओं को जागरूक करना होगा क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो न केवल एक परिवार आगे बढ़ता है अपितु पूरा गांव, शहर एवं देश आगे बढ़ता है।<sup>1</sup>

भारतीय संस्कृति में महिला को शक्ति, धन-वैभव एवं ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण देवी दुर्गा, लक्ष्मी सरस्वती के रूप में उनकी पूजा होती रहती है। यहाँ हिन्दू देवी-देवताओं में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। यहाँ नारी को अर्धांगिनी और पुरुष को अर्धनारीश्वर माना गया है। यहाँ महिलाओं को सम्मान देने के लिए ही भगवान श्रीराम एवं श्रीकृष्ण से पहले देवी सीता एवं राधा का नाम लिया जाता है। हिन्दू आदर्श के अनुसार स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है और उसकी शक्ति का महत्व इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि वह न तो पुरुष की अनुगामिनी है और न ही उसके समकक्ष वह तो पूरक है परन्तु पुरुष की जन्मदात्री होने के कारण महिलाओं का स्थान सदैव ही पुरुष से श्रेष्ठ माना जाता है। पश्चिमी संस्कृति में महिलाओं का पत्नी और प्रेयसी रूप प्रधान है जबकि भारतीय संस्कृति में मातृत्व का सम्मान है व मां का स्थान ही सर्वोपरि है और यहीं पर महिला पुरुष से ऊंची है।

भारतवर्ष में प्राचीन काल में अनेक विदुषी महिलाएं हुईं। गार्गी, घोषा, अपाला, विद्योत्मा, तिलोत्मा जैसी महिलाओं के वृत्तान्त कई पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। इन महिलाओं ने न केवल समाज में उच्च स्थान ही प्राप्त किया अपितु अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनीं। अनेक रानियों ने भी यहाँ राजकाज के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और रणभूमि में भी अपने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई, रजिया सुल्तान की अपार राजनैतिक क्षमताओं और साहस को आज भी याद किया जाता है परन्तु वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक दृष्टि डालने पर हमें महिलाओं की स्थिति में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न कालों में उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक अधिकारों पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

**ऋग्वेद काल** को कुछ दृष्टियों से नारी स्वतन्त्रता का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में नारी की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी। इस युग में पति-पत्नी दोनों समान रूप से सम्पत्ति के स्वामी होते थे एवं सुयुक्त रूप से यज्ञ सम्पन्न करते थे, विवाह शिक्षा एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में महिलाओं की स्थिति प्रायः पुरुषों के समान ही थी। इस काल के प्रारम्भिक मन्त्र महिलाओं के प्रति आदर व्यक्त करने के साथ ही उनके अधिकारों पर भी पर्याप्त बल देते हैं। इसके पश्चात् वैदिक काल में भी महिला एवं पुरुषों की सामाजिक स्थिति में समानता थी। इस काल में भी पर्दाप्रथा का प्रचलन नहीं था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने एवं जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। धार्मिक क्रियाओं में महिलाएं स्वच्छंद रूप से सम्मिलित होती थी एवं उनका उपनयन संस्कार भी होता था। इस समय विवाह युवावस्था में होता था तथा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली हुई थी। सम्पत्ति के अधिकार में यद्यपि महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था परन्तु फिर भी पत्नी और पुत्री के रूप में उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त थे। घोषा, अपाला, विशम्भरा, गार्गी व मैत्रयी इसी काल की महिलाएं थीं। **उत्तर वैदिक काल** के आरम्भ में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी परन्तु जैन एवं बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही महिलाओं को अनेक धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस काल में सिद्धान्त रूप में तो महिलाओं पर कई प्रतिबन्ध लगाये गये परन्तु व्यावहारिक रूप में

महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग करती रही। इसके बाद **धर्मशास्त्र काल** में महिलाएं निर्बल, निस्सहाय एवं परतन्त्र समझी जाने लगी। महिलाओं पर इस समय अनेक अनुचित निषेध थोप दिये गये। उन्हें शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। विधवा पुर्नविवाह पर रोक लगाकर उनकी स्वतन्त्रता पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। **मध्यकाल** में ग्यारहवीं शताब्दी में महमूद गजनबी की भारत पर विजय के साथ भारतीयों पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा और महिलाओं पर अनेक कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। इस काल में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, व पारिवारिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर होना पडा। धर्म के नाम पर महिलाओं का सर्वाधिक शोषण इसी काल में हुआ। इसके बाद **अठारहवीं शताब्दी** के मध्य में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। इस समय सामाजिक संस्थाओं के विखण्डन एवं राजनैतिक संरचना में उथल पुथल ने देश में सामाजिक जीवन में विशेष रूप से महिलाओं के पतन में विशेष रूप से योगदान दिया। इस समय ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म की रक्षा करने एवं रक्त की शुद्धता को बनाये रखने के लिए महिलाओं पर और भी अधिक कठोर प्रतिबन्ध लगाये। विवाह की आयु घटाकर 8से 9 वर्ष कर दी गयी। विधवा पुर्नविवाह एवं महिला शिक्षा पर पूर्णरूप से रोक लगा दी गई। पर्दाप्रथा व सतीप्रथा इस समय अपने चरम पर थी। महिलाओं के सतीत्व की रक्षा करने के लिए उन्हें जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त पुरुषों के अधीन कर दिया गया और उनके समस्त अधिकार व स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गयी। अठारहवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेज भारत के शासक रहे। इस अवधि में शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक अधिकारों को लेकर महिला-पुरुष के बीच असामनताओं में कुछ कमी आयी। माना जाता है कि ब्रिटिश काल में ही महिलाओं को सर्वप्रथम स्वतन्त्रता के दर्शन हुए क्योंकि अंग्रेजों ने अपने राज्य की स्थापना के लिए कलम का रास्ता चुना और उनके सामाजिक जीवन में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था तथा सतीप्रथा एवं पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का भी पूर्णतया अभाव था।<sup>2</sup>

मुस्लिम समाज में यदि महिलाओं की स्थिति को देखे तो उनकी स्थिति भी शोचनीय है जबकि शायद इस्लाम ही एकमात्र वह धर्म है जिसमें महिलाओं को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है कहा भी जाता है कि कुरान व धार्मिक पुस्तक है जिसमें आज से 1400 वर्ष पूर्व ही महिलाओं के पुरुषों के बराबर मान लिया गया।<sup>3</sup> गहराई से देखा जाये तो कोई भी धर्म किसी भेदभाव को प्रोत्साहन नहीं देता बल्कि सच्चा धर्म वहीं है जो पापों को जड़ों से काटकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।<sup>4</sup> धर्म मानव सभ्यता व संस्कृति का पोषक, संरक्षण व निर्माता हाता है। देखा जाए तो हर धर्म की महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार पाने में वर्षों लग गये परन्तु इस्लाम में धार्मिक गुरुओं द्वारा धर्म की मनमानी व्याख्या करके व धार्मिक खौफ दिखाकर मुस्लिम महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। मुस्लिम परिवारों में महिला शिक्षा का स्तर काफी निम्न है। उन्हें निर्णय लेने की स्वतन्त्रता नहीं है। उन्हें पर्दा प्रथा व तीन तलाक का दंश झेलना पडता है। तीन तलाक के बाद उन्हें हक-ए-मेहर से भी वंचित कर दिया जाता है। इसके पार्श्व में कहीं न कहीं धर्मान्धता, अंधविश्वास व पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है। इस्लाम की पुस्तक कुरान व हदीस की आयतें महिला पुरुषों के समान अधिकारों पर बल देती है। हदीस

की आयत 'तलबुल इल्म फरीजतुन अलाकुल्ली अलमुस्लिम व मुस्लिमा के माध्यम से हजरत मुहम्मद साहब बताते हे कि तालीम हर मर्द व औरत के लिए निहायती जरूरी है।<sup>6</sup> बाबजूद इसके मुलसमानों के महान नेता सर सैयद अहमद खान ने केवल मुस्लिम युवकों के लिए ही 1875 में एक स्कूल की स्थापना की जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है।<sup>6</sup> अतः कह सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी प्रतिबन्ध धार्मिक न होकर सामाजिक है। धर्म तो मनुष्यों को धार्मिक मूल्यों को अंगीकार करने के लिए प्रेरित करता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समस्त प्राकृतिक संसार के साथ मनुष्य जीवन में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए जिसके परिणामस्वरूप हम अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं से दूर होते चले गये। आज भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति दोहरे मापदण्ड अपनाये जाते हैं। एक ओर तो उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। वही दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध किये जाते हैं। महिलाओं के प्रति यह संकीर्ण मानसिकता पीढियों से चली आ रही है। पुरुषों के अनुसार महिलाओं को सदैव आज्ञाकारी होना चाहिए। पूर्व में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने का कारण भी संभवतः यही रहा होगा कि अशिक्षित महिला कभी भी अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगी। महिलाओं की प्रगति में समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां भी सदैव ही बाधक बनी। वर्तमान में महिलाओं के प्रति हिंसक अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं के प्रति पूर्व में जो सम्मान व्यक्त किया जाता था आज उसमें धीरे धीरे हास होता जा रहा है। महिलाएं आज घर व बाहर दोनों जगह प्रताडित होती हैं। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं परन्तु जब तक महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को समाप्त नहीं किया जाता तब तक महिला सशक्तीकरण का सपना अधूरा ही रहेगा।<sup>7</sup>

आज महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कानून एवं सरकारी योजनाएं हैं परन्तु व्यवहार में आज भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उनका अपमान करना एवं विभिन्न तरीकों से प्रताडित करना आज भी निर्बाध रूप से जारी है। आज ऐसे अनेक उदाहरण हमें प्रत्यक्षरूप से देखने को मिल जाते हैं जहाँ महिला कर्मचारियों का पुरुष सहकर्मियों द्वारा शोषण एवं उत्पीडन किया जाता है। पुरुषों द्वारा महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करना एवं छेड़छाड़ की घटनाएं आम हो चुकी हैं। स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ बदसलूकी करना और विरोध करने पर मारपीट व बलात्कार को अंजाम देना यह सब घटनाएं जैसे प्रतिदिन की कहानी हो गयी हैं। उक्त घटनाओं से क्षुब्ध होकर छात्राएं दहशत में स्कूल जाना छोड़ देती हैं एवं कई बार आत्महत्या तक कर बैठती हैं। वर्तमान समय में नैतिकता का इतना पतन हो चुका है कि छोटी छोटी बच्चियों के प्रति भी बलात्कार एवं हत्या के अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। कटुआ रेप मर्डर केस (8 साल की बच्ची) अलीगढ़ की ट्विंकल मर्डर केस (ढाई साल की बच्ची) निर्मया काण्ड, (दिल्ली) अरुणा शानबाग काण्ड, तन्दूर काण्ड, आदि महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों के बस कुछ ही उदाहरण हैं। यौन अपराध केवल घरके बाहर ही नहीं अपितु घर में सगे

रिश्तेदारों के द्वारा भी किये जाते हैं। इससे महिलाओं के प्रति पुरुष मानसिकता का नजरिया स्पष्ट होता है।

महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसक अपराधों एवं दुर्व्यवहार के कारण ही आज महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता प्रबल हो चली है। सशक्तिकरण के बारे में विचार व्यक्त करते हुए पैलिनीथुराई ने कहा है कि "सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है।"<sup>8</sup> इसी प्रकार लीना मोहन्दले के शब्दों में "निडरता, सम्मान और जागरूकता तीनों शब्द महिला सशक्तिकरण में सहायक हैं।"<sup>9</sup>

महिला सशक्तिकरण से आशय केवल शक्ति का अधिग्रहण मात्र ही नहीं अपितु शक्ति का उपयोग करने से है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता जाग्रत करना है जिससे वह भयमुक्त होकर समाज में कहीं भी आ जा सकें व अपनी गरिमा को बनाये रखते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही हो सकता है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में विभिन्न कौशलों का विकास होता है एवं स्वनिर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है एवं स्वनिर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति भी सजग होती है एवं अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर सकती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की है। आत्मनिर्भर एवं सजग महिलाएं देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। अरस्तु ने भी कहा है कि "किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनति उस राष्ट्र की महिलाओं की उन्नति या अवनति पर निर्भर है।"<sup>10</sup>

पूर्व में भी महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रयास किये गये हैं। इस क्रम में 1972 को प्रकाशित मेरी वल्सटोक्राफर की पुस्तक ऐ विन्डीकेशन ऑफ़ दी राइट आफ़ वीमेन को महत्वपूर्ण माना जाता है।<sup>11</sup> उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक विभिन्न समाज सुधारकों जैसे ईश्वर चन्द्र विद्या सागर, राजाराम मोहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, सावित्री बाई फुले, रामाबाई रानाडे, आनन्दी बाई जोशी आदि के प्रयासों के कारण महिलाओं को पर्दाप्रथा, सतीप्रथा, बालविवाह एवंबेमेल विवाह जैसे कुरीतियों से मुक्ति मिल गयी थी। इस समय पुनर्विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को भी समर्थन मिला। समाज सुधारकों द्वारा कन्या पाठशालाएं खोली गयीं तथा 1917 में बम्बई में युवतियों के लिए एन.डी.टी. वि.वि. की स्थापना हुई।<sup>12</sup> इसके बाद 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कालेज की स्थापना हुई। महिला शिक्षा में सुझाव एवं सुधार हेतु देशमुख समिति (1958) हंसा मेहता समिति (1962) कोठारी आयोग (1964-66) ने कई सुझाव प्रस्तुत किये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार तथा विज्ञान, तकनीक व मैनेजमेन्ट की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिला।<sup>13</sup> इस समय विभिन्न महिला आन्दोलनों, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, भारतीय ईसाई महिला मण्डल, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट ने भी महिलाओं की उन्नति के लिए सराहनीय कार्य किये।

कहना न होगा विभिन्न कानून के द्वारा भी महिलाओं को समानता व सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये गये। समान पारिश्रमिक अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम को पारित करके महिलाओं के हितों को सुरक्षित रखने के प्रयास किये गये। महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का भी प्रावधान है। संविधान की धारा 15 भी भेदभाव रहित अवसरों की समानता प्रदान करती है तथा धारा 20 व 29 में सभी भारतीय नागरिकों को शैक्षिकों अवसरों की समानता प्राप्त है। यूएन0डिक्लरेशन आफ ह्यूमन राइट्स ने भी धारा 192 में लिंग भेद रहित व 1990 में नेशनल कमीशन फार वीमेन बनाया गया तथा 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई। विश्व स्तर पर भी महिलाओं को हिंसा व शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु समय-समय पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन में 1976 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं 1975-1984 के दशक को महिला दशक घोषित किया गया। इसके बाद 1980 में द्वितीय, 1985 में तृतीय व 1995 को आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में महिला शिक्षा, रोजगार व विकास के साथ ही लिंग भेद मिटाने के लिए भी प्रस्ताव पारित किये गये परन्तु इतने प्रयासों के बाद भी समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं कहीं जा सकती है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज महिलाएं तरक्की की नई ऊँचाईयों को छू रही हैं और अपना व देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। देश का गौरव बढ़ाने के साथ ही महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन रही है। महिला साक्षरता दर आज बढ़कर 65.46 हो गई है। संसद में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, वित्तमन्त्री, विदेशमन्त्री, न्यायाधीश, अधिकारी इन सभी पदों के कार्यभार को महिलाओं ने बखूबी संभाला है। खेल जगत, चिकित्सा, तकनीकी पुलिस, फौज, शिक्षा, संगीत, फिल्में सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। आज महिलाओं ने पर्वतों की ऊँचाई को अपने पैरों से नाप लिया है परन्तु यह भी सत्य है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पीड़ित, उपेक्षित एवं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है। आज भी प्रतिदिन समाचार पत्रों में बलात्कार एवं हत्या की खबरें देखने को मिलती है। आज भी देश में लडकियां यौन हिंसा का शिकार होती हैं।<sup>15</sup> प्रतिवर्ष मातृ दिवस एवं महिला दिवस पर सिर्फ एक दिन उन्हें मान सम्मान देने से कुछ नहीं होगा। वास्तविक खुशी तब मिलेगी तब महिलाओं के प्रति अपराध होने बन्द होंगे। वही असली महिला दिवस होगा।

### सुझाव

- ❖ महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है शिक्षा से वंचित ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निशुल्क शिक्षा एवं कम दूरी पर स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ❖ आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेरोजगार महिलाओं के लिए हस्त कौशल के प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं और महिलाओं को स्वावलम्बी

बनाने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।

- ❖ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की भी आवश्यकता है। साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं को सरल एवं न्याय को सर्व सुलभ बनाने के लिए प्रयास किये जाये और महिलाओं को अन्याय एवं अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित किया जाये।
- ❖ महिलाओं को भी स्वयं अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए क्योंकि यथात् में कोई चमत्कार नहीं होता कोई फरिश्ता मसीहा बनकर नहीं आता। इसीलिए महिलाओं को स्वयं ही अपनी अबला वाली छवि तोड़कर उससे बाहर आना चाहिए।
- ❖ लडकों को बचपन से ही सिखाया जाये कि लडके लडकी दोनों बराबर है। अपने लडकों में महिलाओं को ऐसे संस्कार विकसित करने चाहिए जिससे वह समाज की सभी महिलाओं का आदर व सम्मान करना सीखे। पुरुष मानसिकता बदलने की शुरुआत यदि प्रत्येक महिला अपने घर से करेगी तभी धीरे धीरे समाज में बदलाव आयेगा।

निष्कर्षता कहा जा सकता है कि जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाता तब तक महिला सशक्तिकरण की बात करना निरर्थक होगा। सरकारी योजनाएँ एवं कानूनी प्रयास भी तभी सफल होंगे जब महिलाओं के प्रति संकीर्ण सोच एवं पूर्वाग्रहों में बदलाव आये। इस दिशा में कुछ प्रयास किये तो जा रहे हैं परन्तु स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन हों यह प्रयास एक सकारात्मक मोड़ की तरफ जाते हुए अवश्य प्रतीत हो रहे हैं।

#### संदर्भ ग्रन्थ

1. शर्मा श्री नाथ एवं मनोज कुमार सिंह, "पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास", आदित्य पब्लिशर्स, म0प्र0 2000, पृ0 112
2. पाराशर चिरंजीलाल "नारी और समाज", रमेश पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद पृ0 201-202
3. सिंह निशान्त, "मानवाधिकार और महिलाएँ", राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2008
4. यादव, प्रतिभा, "उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक", साहित्य प्रकाशन आगरा, 2005, पृ0 471-474
5. फरजाना अमीन, "मुस्लिम पुरुष पोषक या शोषक", पृ0 143
6. जाहिद हिना, "पाकिस्तानी स्त्री: यातना और संघर्ष", पृ0 149
7. अंसारी एम0ए0, "महिला और मानवाधिकार", जयपुर, 2007 पृ0 224
8. पैलिनीथूराई जी, "इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन", वाल्यूम 471, जनवरी-मार्च 2001, पृ0 39
9. मेहन्दले लीना, "अचीवमेन्ट एण्ड चैलेन्ज", योजना, अगस्त 2001, पृ0 56
10. सिंह गौरव, "महिला सशस्तीकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थायें", आन्वीक्षिकी (शोध पत्रिका) 2013, पृ0 64

11. प्रो० अरोडा, एस०सी०,सैनी सुरेश कुमार, 'महिला सशस्तीकरण की अवधारणा,' राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, जुलाई- दिसम्बर 2008, पृ० 32
12. नैयर रेणुका : "नारी स्वतन्त्र्य के बदलते रूप," अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़, 1990, पृ० 22-23
13. जसटा हरिराम, 'आधुनिक भारत में शैक्षिक चिन्तन,' दिल्ली 1992, पृ० 21
14. शर्मा बी०एल० सक्सेना, आर०एन० "शिक्षाशास्त्र" सूर्या प्रकाशन मेरठ, 2006, पृ० 354-355
15. चटर्जी पत्रलेखा, "सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है", अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र, 2018 पृ० 10